

सं० सं० 14/एम 11-1/18  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में

निदेशक,  
आल इंडिया इंस्टीच्युट आ० मेडिकल साइंस,  
फुलवारीशरीफ, पटना 801505

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 8.8.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुरभी कुमारी पिता-उपेन्द्र प्रसाद कुशवाहा ग्राम-बिक्रमपुर पो०-मनीयारी थाना-शिकारपुर जिला-प० चम्पारण	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
2	नीलम देवी पति-स्व० शिव नाथ ठाकुर ग्राम- लखन लाल पथ हजाम टोली, न्यु जक्कनपुर, पो०-जी०पी०ओ०, थाना-गर्दनीबाग, जिला-पटना	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
3	नुसरत आरा पति-नीजामुल हुसैन ग्राम-माहपुर खजरौनी पो०-फरीदपुर थाना-हुसैनगंज जिला सीवान	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
4	अभय कुमार दास पिता-देवेन्द्र दास ग्राम-सरस्वती नगर पो०-ओरहरा, थाना-रजौन जिला-बांका	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत

5	सुमन देवी पति-उमेश मोदी ग्राम-धुसर पो0+थाना-टिकापट्टी जिला-पूर्णिया	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत
6	सरिता देवी पति-मनोज कुमार भगत ग्राम जहांगीरपुर पो0-थाना-सोनपुर जिला-सारण	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत ।
7	शांति देवी पति-कामो साह ग्राम-भुरी पश्चिम पो0-सहारा थाना-कै0 नगर जिला-पूर्णिया	हिप रिपलेस्मेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत ।
8	किशोर कुमार झा पिता-बरुनेश्वर झा ग्राम-आदर्श कालोनी ट्रांसपोर्ट नगर, पो0-बी0एच0 कालोनी थाना अगमकुंआ, जिला पटना	हिप रिपलेस्मेंट	1,70,000	एक लाख सतर हजार स्वीकृत ।
9	तीजा देवी पति-शिवजी यादव ग्राम+पो0-परसौंडा थाना-शाहपुर जिला-भोजपुर	कैंसर रोग	75,000	पचहतर हजार स्वीकृत ।
10	मुन्ना राम पिता-प्रदीप राम ग्राम+पो0+थाना-तरीयानी छपरा, जिला-शिवहर	हडडी रोग	75,000	पचहतर हजार स्वीकृत ।
11	अहमद हुसैन पिता-तफाजुल हुसैन ग्राम-पालीहाल पो0-परेव थाना-बीहटा जिला-पटना	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत । विशेष परिस्थिति में ।
12	धीरज यादव पिता-नारायण यादव ग्राम+पो0-शाहपुर थाना-मुफसिल जिला-बेगुसराय	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
13	कांति देवी पति-योगेन्द्र प्रसाद ग्राम-नगवा पो0-सोरमपुर थाना-जानीपुर जिला-पटना	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत

14	रमेश पासवान पिता-पवित्र पासवान ग्राम-नया टोला हसनपुर पो0-हसनपुर थाना-महनार जिला-वैशाली	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
15	संगीता कुमारी पिता-मनोज दास ग्राम-कुरमावा पो0-खटागी थाना-बंशी जिला-अरवल	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
16	ओम प्रकाश पिता-बच्चा पासवान ग्राम खोखरा पो0-राजपुर थाना-कल्याणपुर जिला-पूर्वी चम्पारण	हिप रिपलेस्मेंट	1,70,000	एक लाख सतर हजार स्वीकृत
17	योगेन्द्र प्रसाद पिता-स्व0 शिव नारायण साह ग्राम-रोड नं0-6 सी राजेन्द्र नगर, पो0+थाना-कदमकुंआ जिला-पटना	नी रिपलेस्मेंट	1,30,000	एक लाख तीस हजार स्वीकृत
18	मनी देवी पति-मदन सिंह ग्राम+पो0-ठाहर थाना-रुन्नी सैदपुर जिला-सीतामढ़ी	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत
19	दुलारी देवी पति-तेतर पासवान ग्राम+पो0-पैमारघाट थाना-पुनपुन जिला-पटना	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत
20	सिमरन सिंह पिता-मनोज कुमार सिंह ग्राम-भदास उत्तरी पो0-भदास दक्षिणी थाना-जिला-खगड़िया	कोकलीयर इम्प्लांट	2,50,000	दो लाख पचास हजार स्वीकृत
			₹ 21,10,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 21,10,000/- ( इक्कीस लाख दस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 118816 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 579310110002528 खाता धारक का नाम-'एम्स, पटना' खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ RTGS/IFSC कोड सं0 BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

( डा0 आर0 डी0 रंजन )

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...148848...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1484(14)

पटना, दिनांक

16-8-18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ संबंधित मरीजों/आई0 टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

148/18  
निदेशक प्रमुख  
31.8.18

सं० सं० 14/एम 11-1/18  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
हार्ट अस्पताल लिमिटेड (चन्द्रालय)  
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 8.8.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	उपेन्द्र यादव पिता-पुलकित यादव ग्राम+पो०-लहरनीया थाना-त्रिवेणीगंज जिला-सुपौल	हृदय रोग	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत
2	शोभा देवी पति-पारस नाथ महतो ग्राम-बाउघाट पो०-भदौसी थाना-कोरमा जिला-शेखपुरा	हृदय रोग	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत
			कुल ₹ 2,60,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,60,000/- ( दो लाख साठ हजार ) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 118859 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालु , बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

( डा0 आर0 डी0 रंजन )

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0. 142853 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1490(14)

पटना, दिनांक 16.8.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई टी0. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/8/18  
निदेशक प्रमुख  
11.6.18

सं० सं०- 14/एम 11-1/18  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर,  
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 8.8.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	कान्तो देवी पति-संतोषी यादव ग्राम-पो०-शादीपुर थाना-बंशी जिला-अरवल	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत । विशेष परिस्थिति में।
2	गीता देवी पति-उपेन्द्र सिंह ग्राम-केन्दुआ पो०-अकौना बाजार थाना-मुफसिल जिला-नवादा	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
3	नरेश प्रसाद पिता-राघो महतो ग्राम-खिरौना पो०-थाना-रहुई जिला-नालंदा	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
4	हाजी हबीबुल्लाह पिता-हाजी वली मोहम्मद ग्राम-कमलपुर पो०-संस्कृत निर्मली थाना-बलुआ बाजार जिला-सुपौल	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
5	मोहन साव पिता-रामजी साव ग्राम-आजाद नगर चौरमा पो०-दोहरा थाना-नारदीगंज जिला नवादा	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत । विशेष परिस्थिति में।
			कुल ₹ 3,50,000/-	

८

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ~~148852~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 5020 418 8262 खाता धारक का नाम—"निदेशक, एस०एस० हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कंकड़बाग, पटना-20 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212980 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन )

निदेशक प्रमुख,

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० ~~148852~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/


निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 16.8.18

ज्ञापांक

1491(14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ सभी संबंधित मरीजों/ आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख  
16.8.18



सं० सं० 14/एम 11-1/18  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक,

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
आस्था लोक हॉस्पिटल,  
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय  
कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 8.8.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अर्जुन साव पिता-राम अवतार साव ग्राम-पो०+थाना-चंडी जिला-नालंदा	नी रिपलेस्मेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
2	मो० अफजल पिता-मो० शफी अहमद ग्राम-सुखी नगर पो०+थाना बिहारशरीफ जिला-नालंदा	नी रिपलेस्मेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
3	राजेश दास पिता-योगेन्द्र दास ग्राम-पो०-कुशमाहा थाना-बौंसी जिला-बांका	स्पाईनल सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	नौरूप लाल पिता-मनोहर राय ग्राम-पो०-मरारा थाना-रोह, जिला-नवादा	स्पाईनल सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत
5	मोहन भगत पिता-राम शकल भगत ग्राम+पो०-रौनीया थाना-महकार जिला-गया	स्पाईनल सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत
6	सरजुग साह पिता-राम बली साह ग्राम-नवडीहा पो०-थाना-खैरा जिला-जमुई	स्पाईनल सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत

7	राजु सिंह पिता-भदेश्वर सिंह ग्राम-पो0-ढाबा थाना-बिक्रमगंज जिला- रोहतास	स्पाईनल सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत
8	राजेश कुमार चौधरी पिता-अनोरुध राय ग्राम-बिच्छी पो0-मानपुर थाना-मुफसिल जिला-गया	स्पाईनल सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत
9	रंधीर मालाकार पिता-राधे मालाकार ग्राम-पो0-खवनी थाना-भभुआ जिला-भभुआ, कैमुर	स्पाईनल सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत
10	अर्जुन चौहान पिता-शंकर चौहान ग्राम-पो0-भदवार थाना-बगेन जिला-बक्सर	स्पाईनल सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत
			कुल ₹ 16,60,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 16,60,000/- ( सोलह लाख साठ हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 148851 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 50200006844472 खाता धारक का नाम-"आस्था लोक अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लि0" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- एच0 डी0 एफ0 सी0 बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आर0 डी0 रंजन)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० ~~148851~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1489(14)

पटना, दिनांक 16.8.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ सभी संबंधित मरीजों/ आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख  
16.8.18

सं0सं0-14/एम 11-1/18  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा0 आर0 डी0 रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,  
मेडिका मगध अस्पताल,  
राजेन्द्र नगर रोड नं0-2बी0  
पटना- 800016

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 8.8.18. की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कलावती देवी पति-देवेन्द्र महतो ग्राम+पो0-ओल्हनपुर थाना-मढ़ौरा जिला-सारण	हृदय रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
2	गायत्री देवी पति-शंकर गुप्ता ग्राम-शिकडगढ टोला पो0-थाना-कहलगांव जिला-भागलपुर	हृदय रोग	1,60,000	एक लाख साठ हजार स्वीकृत।
3	परमानन्द यादव पिता-स्व0 राम स्वरूप यादव ग्राम-मोरकाही पो0-सिहमा थाना-बिथान जिला-समस्तीपुर	हृदय रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	शोभा देवी पति-धर्मेन्द्र राय ग्राम-चकजालाल पो0-बाजीतपुर करनैल थाना-ताजपुर जिला समस्तीपुर	हृदय रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
5	गोरख नाथ प्रसाद पिता-काशी प्रसाद ग्राम+पो0+थाना-बनीयापुर जिला सारण	हृदय रोग	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।

6	शैलेश कुमार गिरि पिता-अखिलेश गिरि ग्राम-बिश्वम्भरा पो0-दुखी छापर थाना-गोपालपुर जिला-प0 चम्पारण	हृदय रोग	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत ।
			₹ 8,40,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि 8,40,000/- (आठ लाख चालीस हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 148847 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 37055550128 खाता धारक का नाम- 'मेडिका मगध अस्पताल, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम - पी0बी0बी0, डाक्टर कालोनी RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत राशि आपके संस्थान में पहुँचने से पूर्व मरीज द्वारा चिकित्सा करा ली गयी हो, तो इस स्वीकृत राशि को अविलंब विभाग को वापस किया जाये।

विश्वासभाजन

ह0/-

( डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलक सं0 148847 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1483(14)

पटना, दिनांक 16.8.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों /आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख  
14/8/18

सं० सं० 14/एम 11-1/18  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,

राजाबाजार, पटना 800014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 08.8.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राम सहाय तिवारी पिता-स्व० सरयुग तिवारी ग्राम-परवेजाबाद बदुराही पो०+थाना-सोनपुर जिला-सारण	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
2	मो० बदानी हासीम पिता-मो० निजामुद्दीन ग्राम-पो०-थाना मकेर जिला-सारण	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
3	हरे कृष्ण प्रसाद पिता-स्व० कारु महतो ग्राम-सीरीसीया बिगहा पो०-कथौली, थाना-नुरसराय जिला-नालंदा	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
4	अंजु देवी पति-संतोष कुमार ग्राम-न्यु कालोनी न्युदल पो०+थाना-खुसरूपुर जिला-पटना	कैंसर रोग	70,000	सतर हजार स्वीकृत
5	जय किशुन कुमार पिता-लालजी भगत ग्राम-सहल्दुल्लेपुर पो०-रूप छपरा थाना-साहेबगंज जिला-मुजफ्फरपुर	हृदय रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत ।
6	उपेन्द्र यादव पिता-स्व० रामजी यादव ग्राम-पो०-रायभीर थाना-शंकरपुर जिला-मधेपुरा	हृदय रोग	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत

7	संजीव कुमार ठाकुर पिता-शंभु नाथ ठाकुर ग्राम+पो0-पानापुर लंगा थाना-हाजीपुर जिला-वैशाली	बोन मैरो ट्रास्प्लांट	5,00,000	पांच लाख स्वीकृत
8	राज कुमार पिता-हिमांशु कुमार ग्राम+पो0-रामपुर थाना-सूर्यगढ़ा जिला-लखीसराय	बोन मैरो ट्रास्प्लांट	5,00,000	पांच लाख स्वीकृत
9	शिल्पी कुमारी पिता-राम प्रवेश सिंह ग्राम-ए0जी0 कालोनी कोटिल्य नगर, पो0-थाना-शास्त्रीनगर जिला-पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
10	मास्टर आदित्य कुमार पिता-सतीश चन्द्र भारती ग्राम+पो0-अम्बा थाना-रहुई जिला नालंदा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
11	मो0 अलीमुद्दीन पिता-अबु अहमद ग्राम-पो0+थाना-सिगोड़ी जिला-पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
12	किरण देवी पति-शैलेन्द्र सिंह ग्राम-पलंगा पो0-सुईथा थाना-परसा बाजार जिला-पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
13	जितेन्द्र कुमार गुप्ता पिता-परमानन्द प्रसाद गुप्ता ग्राम+पो0+थाना-गरखा जिला-सारण	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत
14	विजय शंकर प्रसाद पिता-स्व0 शंभु प्रसाद ग्राम-राजघर चौक रोड पो0+थाना-डुमराव जिला-बक्सर	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
15	सुनीता देवी पति-मनोज कुमार सिंह ग्राम -नगर पंचायत झंझारपुर पो0+थाना-झंझारपुर जिला-मधुबनी	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			कुल 21,25,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 21,25,000/- ( इक्कीस लाख पच्चीस हजार ) का क्रास चेक सं0.....

.....मूल रूप में संलग्न है।

~~148844~~

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
5. यदि स्वीकृत राशि आपके संस्थान में पहुँचने से पूर्व मरीज द्वारा चिकित्सा करा ली गयी हो, तो इस स्वीकृत राशि को अविलंब विभाग को वापस किया जाये।

विश्वासभाजन

ह0/-


( डा0 आर0 डी0 रंजन )

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1485(14)

पटना, दिनांक 16-8-18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
14/8/18  
निदेशक प्रमुख  
21. (18/18)



सं० सं० 14/एम 11-1/18  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
दिव्य दृष्टि आई सेंटर,  
मंगल मार्केट, शेखपुरा,  
पटना 800014 ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 8.8.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	हेमा देवी पति-गोपाल प्रसाद ग्राम-सगुना पो०+थाना-दानापुर जिला-पटना	नेत्र रोग	32,000	बत्तीस हजार स्वीकृत ।
			कुल ₹ 32,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 32,000/- ( बत्तीस हजार ) मात्र का क्रास चेक सं०.....~~148846~~..... मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

( डा० आर० डी० रंजन )

निदेशक प्रमुख.

ज्ञापांक 1480(14)

पटना, दिनांक 16-8-18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/8/18  
निदेशक प्रमुख  
शेखपुरा

सं० सं० 14/एम 11-1/18  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
अधीक्षक,  
पटना मेडिकल कालेज अस्पताल,  
पटना 800004।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 8.8.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सत्यदेव पंडित पिता-स्व० राम खेलावन पंडित, ग्राम-काशीपुर चक बीबी, पो०-विदुपुर थाना राजापाकर जिला-वैशाली	कैंसर रोग	24,000	चौबीस हजार स्वीकृत।
2	राम नरेश पासवान पिता-नारायण पासवान ग्राम-चक अब्दुलगनी पो०-रामपुर रामहर थाना-जन्दाहा, जिला वैशाली	कुल्हा रोग	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			कुल रू० 34,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू० 34,000/- (चौतीस हजार) का क्रास चेक सं०.....~~148846~~.....  
.....मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

( डा० आर० डी० रंजन )

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1488(14)

पटना, दिनांक 16-8-18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख  
21/8/18

सं0सं0-14/एम 11-1/18  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा0 आर0 डी0 रंजन

निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,

राजेश्वर अस्पताल

नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर

कंकड़बाग, पटना-800020

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 8.8.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	गुड्डु मिया पिता-दिल मोहम्मद मियां ग्राम-मुजरा धुस पो0+थाना-रामनगर जिला-प0 चम्पारण	हृदय रोग	85,000	पचासी हजार स्वीकृत ।
2	अशोक कुमार प्रसाद पिता-स्व0 बालचन्द्र प्रसाद ग्राम-गुलजार बाजार थाना-नगर पो0+जिला-सीवान	हृदय रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
3	फुलो देवी पति-राम बहादुर कामत ग्राम-अरेर सिनुआरा पो0+थाना-अरेर जिला-मधुबनी	हृदय रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
4	सकलपातो देवी पति-मदन मोहन सिंह ग्राम+पो0-सखरा थाना-राजपुर जिला-रोहतास	हृदय रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
5	अनिल कुमार शर्मा पिता-राजेश्वर शर्मा ग्राम-रोहुआ आपुछ पो0-थाना-मुसहरी जिला-मुजफ्फरपुर	हिप रिपलेस्मेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			कुल ₹ 6,05,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,05,000/-( छः लाख पांच हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० ~~14.8.87~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 1499002109000623 खाता धारक का नाम-"राजेश्वर अस्पताल " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० PUNBO 149900 में अंतरित किया जाता है।
3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
5. यदि स्वीकृत राशि आपके संस्थान में पहुँचने से पूर्व मरीज द्वारा चिकित्सा करा ली गयी हो, तो इस स्वीकृत राशि को अविलंब विभाग को वापस किया जाये।

विश्वासभाजन

ह०/-

( डा० आर० डी० रंजन )

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक


प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...~~14.8.87~~...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

ज्ञापांक 1486(14)

निदेशक प्रमुख  
पटना, दिनांक 16.8.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख  
21.8.18